एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564

Great Place To Work. Certified JAN 2026-JAN 2027 INDIA

राजभाषा विभाग/Rajbhasha Dept.
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) – 121003
फोन : 0129 - 2258618
ईमेल : rajbhasha-co@nhpc.nic.in
वेबसाइट : https://www.nhpcindia.com

सं.: एनएच/हिंदी/26-27/VII/10/ 5

दिनांक : 06.04.2026

परिपत्र

विषय : विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना में भाग लेने के संबंध में।

निगम में कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। इन प्रोत्साहन योजनाओं में **"विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना"** भी शामिल है । इस योजना के तहत विभागों/पावर स्टेशनों/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों से सामूहिक या व्यक्तिगत रूप में **वर्ष 2025-26 के दौरान निष्पादित राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विशिष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।**

उक्त योजना में विनिर्दिष्ट विशिष्ट प्रकार के कार्यों से आशय ऐसे कार्यों से है, जिनसे निगम में राजभाषा कार्यान्वयन को विशेष बढ़ावा मिले। ऐसे विशिष्ट कार्यों में कार्मिक/टीम द्वारा मूल रूप से हिंदी शब्दावली/द्विभाषी संदर्भ साहित्य तैयार करना/प्रकाशित करना, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष साफ्टवेयर/पैकेज तैयार करना (कंप्यूटर पर जो कार्य अभी तक हिंदी में नहीं किए जा रहे हैं उन्हें हिंदी करने के लिए साफ्टवेयर/पैकेज तैयार करना) आदि शमिल हैं। **योजना के विस्तृत प्रावधानों के लिए कृपया इंट्रानेट का राजभाषा कॉर्नर देखें।**

अतः निगम मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालय/परियोजना/पावर स्टेशन/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने विभाग/परियोजना/पावर स्टेशन/कार्यालय से इस योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक व पात्र कार्मिकों के आवेदन **संलग्न प्रोफार्मा में** दिनांक **30 अप्रैल, 2026 तक ई-मेल आईडीः** rajbhasha-co@nhpc.nic.in पर अवश्य भिजवा दें, ताकि इस संबंध में अगली अपेक्षित कार्रवाई की जा सके।

संलग्नक : आवेदन फार्म

6/4/2026

(संजीव कुमार)
महाप्रबंधक (जनसंपर्क) - राजभाषा

वितरण:-

1. सभी विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय
2. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना/पावर स्टेशन/संपर्क कार्यालय प्रमुख
3. इंट्रानेट

अनुलग्नक I

प्रोफार्मा

विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सूचना देने संबंधी प्रोफार्मा

विभाग/परियोजना/पावर स्टेशन/कार्यालय का नाम

....

कार्मिक/ टीम के सदस्यों के नाम

....

....

....

तैयार सामग्री की कुल पृष्ठ संख्या

....

मूल रूप से हिंदी में तैयार किए गए मैनुअल/ कार्यालयीन दस्तावेज/ संदर्भ सामग्री/ साफ्टवेयर का नाम...

....

....

सामग्री संकलित/प्रकाशित/सॉफ्टवेयर तैयार करने की तिथि (सामग्री/सॉफ्टवेयर की प्रति भी संलग्न करें) ....

तैयार की गई संदर्भ सामग्री, कार्यालयीन दस्तावेज/सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त विवरण	तैयार की गई संदर्भ सामग्री, कार्यालयीन दस्तावेज/सॉफ्टवेयर की उपयोगिता

विभागाध्यक्ष/कार्या./परि./पावर स्टेशन प्रमुख के हस्ताक्षर

कार्मिक/टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर

संशोधित विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना

1.0 शीर्षकः

1.1 इस योजना को विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना कहा जाएगा ।

2.0 उद्देश्यः

2.1 इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में निगम के विभिन्न विभागों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/ क्षेत्रीय/सम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों को सामूहिक रूप में और या व्यक्तिगत रूप में राजभाषा कार्यान्वयन में विशिष्ट योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है ।

3.0 योजना की व्याप्तिः

3.1 यह योजना निगम मुख्यालय के विभागों सहित निगम की सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/ क्षेत्रीय/सम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों पर लागू होगी । उक्त सभी कार्यालयों में पदस्थ नियमित कार्मिक व्यक्तिगत रूप से या टीम के तौर पर इस योजना में भाग ले सकते हैं।

4.0 अवधिः

4.1 इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान निगम मुख्यालय के विभागों व निगम की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों / क्षेत्रीय/सम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों द्वारा सामूहिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में हिंदी में किए गए विशिष्ट उल्लेखनीय कार्यों का आंकलन किया जाएगा ।

5. मानदंड

5.1 इस योजना के तहत वार्षिक आधार पर विभागों/कार्यालयों में पदस्थ किसी कार्मिक/ टीम के उन सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने सामान्य प्रकार के कार्यों से हटकर विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन संवर्द्धन के कार्य किए हैं ।

5.2 विशिष्ट प्रकार के कार्यों से आशय ऐसे कार्यों से है, जिनसे निगम में राजभाषा कार्यान्वयन को विशेष गति प्राप्त हो। ऐसे विशिष्ट कार्यों में किसी कार्मिक/टीम द्वारा मूल रूप से हिंदी में विभागीय मैनुअल तैयार/प्रकाशित करना, कार्यालयीन प्रयोग के लिए विभागीय तौर पर तकनीकी हिंदी शब्दावली / संदर्भ साहित्य तैयार/प्रकाशित/ करना, कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर/पैकेज तैयार करना (कम्प्यूटर पर जो कार्य अभी तक हिंदी में नहीं किए जा रहे हैं उन्हें हिंदी में करने के लिए सॉफ्टवेयर/पैकेज तैयार करना) आदि शामिल हैं ।

5.3 सामान्य राजभाषा कार्यों के अतिरिक्त विशिष्ट उल्लेखनीय कार्यान्वयन के तौर पर किए गए कार्य करने वाले कार्मिकों को ये पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से/टीम पुरस्कार (जैसा भी मामला हो) के रूप में प्रदान किए जाएंगे ।

6.0 **पुरस्कारः**

6.1 वर्ष के दौरान विशेष तौर पर उल्लेखनीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्य (मद सं.5.2 में दिए अनुसार) करने वाले कार्मिकों/ टीमों में से कुल 05 कार्मिकों/टीमों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन (दो) पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा।

6.2 इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले कार्मिक/टीम के सदस्य मूल्यांकन मानदंड में दर्शाए गए आधार पर पुरस्कार पाने के पात्र होंगे । कार्मिक/ टीम द्वारा हिंदी में किए गए विशिष्ट उल्लेखनीय कार्यो की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर चुने गए पॉच कार्मिकों/टीमों को प्रशस्ति पत्र व प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार (दो) के रूप में क्रमशः 10,000/- रूपए, 8000/- रूपए, 6000/- रूपए तथा 5000/- रूपए (दो) नकद/ चैक/ ईसीएस के द्वारा दिए जाएंगे ।

6.3 उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा विभाग,निगम मुख्यालय के बजट से किया जाएगा।

6.4 उपर्युक्त पुरस्कार संबंधित कार्मिकों/टीमों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक/ राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह या किसी अन्य समारोह/ कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे ।

7.0 **योजना का प्रबंधनः**

7.1 इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग, निगम मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

7.2 इस योजना में भाग लेने के इच्छुक कार्मिक/ टीम विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना का रिकॉर्ड (संकलित/प्रकाशित सामग्री/सॉफ्ट वेयर की प्रति सहित) निहित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-।) में निर्धारित समय पर निगम मुख्यालय, राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएंगे । निर्धारित समय से अभिप्राय प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 30 अप्रैल या राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय में अधिसूचित कोई तारीख होगा ।

7.3 उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा । इस समिति के अध्यक्ष किसी तकनीकी विभाग के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होंगे तथा समिति में राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे । तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकन समिति के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा । समिति की सिफारिशों पर पुरस्कार राशि की स्वीकृति राजभाषा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से दी जाएगी ।

8.0 **सामान्यः**

8.1 निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है ।

8.2 एनएचपीसी विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वन पुरस्कार योजना (संशोधित) 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगी ।